

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 451/2012

Smt Usha Choudhary W/o Shri Praveen Choudhary

----Appellant

Versus

Laduram S/o Shri Ramkumar Aheer

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Alok Garg

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

06/01/2026

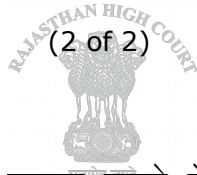
प्रार्थना-पत्र संख्या 2/2025 पर सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 लादूराम का मूल वाद के लंबित रहने के दौरान ही देहांत हो चुका था और अपीलार्थी/वादी का वाद उसके विरुद्ध दिनांक 16.12.2011 के आदेश द्वारा उपशमित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उन्होंने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 लादूराम की तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जावे, साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 03 सन्नी जोशी के विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय ही रही है और उसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 03 की तामील से भी उन्मुक्ति प्रदान की जावे।

सुना गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 लादूराम की मृत्यु हो जाने के कारण तथा अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थना एवं जोखिम पर प्रत्यर्थी संख्या 03 सन्नी जोशी दोनों की तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है।

इसी प्रार्थना-पत्र में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 02 धीरेन्द्र कुमार के नोटिस की दस्ती दिए जाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रत्यर्थी संख्या 02 की तामील हेतु नोटिस मय आदेशिका शुल्क दो प्रतियों में प्रस्तुत करें, जो प्रस्तुत होने पर जारी किए जावें। एक प्रति अधिवक्ता



[CFA-451/2012]

अपीलार्थी को संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दस्ती प्रदान की जावे। तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /37